



भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका।

शोधार्थी -राममेहर

डॉक्टर सुशील कुमार सहायक प्राध्यापक

पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक।

सारांश-

इस शोध पत्र में, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का राजनीतिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। एक वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। समाचार और विचारों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यमों के लिए इन दिनों मीडिया शब्द कठोर हो गया है। मीडिया को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय मीडिया ने वर्तमान युग में अखबार और रेडियो से लेकर टेलीविजन और सोशल मीडिया के दिनों तक एक लंबा सफर तय किया है। 1990 के दशक में मीडिया घरानों में निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से प्रभावित हुआ था, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट घरानों, व्यवसायों, राजनीतिक कुलीनों और उद्योगपतियों ने इसे अपनी ब्रांड छवि को सुधारने के लिए एक सुविधा के रूप में इस्तेमाल किया है। भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता तेजी से मिट रही है, क्योंकि राष्ट्र के मीडिया द्वारा समय-समय पर विश्व दर्शकों द्वारा सनसनी फैलाने वाली खबर की आलोचना की जाती है। भारतीय मीडिया जिस तरह से खबरों का इस्तेमाल करता है और जिस तरह से जानकारी घुमाता है। इसलिए मीडिया का स्तर लगातार गिर रहा है लोगों का उस पर भरोसा घट रहा है और लोकतंत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के परीक्षण पर उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। वर्तमान युवाओं को दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया में अधिक रुचि है। इस प्रकार, मीडिया के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीआरपी चैनलों को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित की जा रही सूचना को पक्षपाती या हेरफेर न किया जाए।

शब्दकुंजी

भारत में मीडिया के विकास का इतिहास, प्रिंट मीडिया से इक्ट्रॉनिक मीडिया में परिवर्तन।

भूमिका-

एक वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है समाचार और विचारों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यमों के लिए इन दिनों मीडिया शब्द कठोर हो गया है मीडिया को विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया जाता है लोग विधायिका और कार्यपालिका की खुलकर आलोचना करते हैं न्यायपालिका की आलोचना करते हुए शब्द के उपयोग को सतर्क किया जाना चाहिए क्योंकि है मानहानि के मुकदमे से डरता है इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के नेता प्रशासनिक अधिकारियों उद्योगपति जो प्रशिक्षण के अधीन है वह हमेशा कहते हैं कि उन्हें भारत के न्यायालय में विश्वास है हालांकि जब अदालत द्वारा विपरीत निर्णय लिया जाता है तो उसके दिमाग के स्पष्ट होने में अधिक समय नहीं लगता है लेकिन हर कोई अक्षर मीडिया की आलोचना से बचता है जैसे कि एक धार्मिक पुस्तक है जिसकी आलोचना तूफान लाएगी इसलिए मीडिया का स्तर लगातार गिर रहा है लोगों का उस पर भरोसा घट रहा है और लोकतंत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के परीक्षण पर उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है मीडिया ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है शादी के बाद विशेष रूप से अमेरिका तक पहुंचने और उनके साथ आ रहा है लोकतांत्रिक देशों में विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज की निगरानी के लिए मीडिया को के रूप में जाना जाता है क्योंकि नहीं कर सकता है से अवगत हो गए हैं इस तरह भारत के आंदोलन को एक नई शक्ति दी गई



है क्योंकि लाखों भारतीय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में नेताओं के रूप में शामिल हुए 2014 के चुनाव में दिनों से भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका में व्याप्त रूप से परिवर्तन देखा गया है।

उद्देश्य:

भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की स्थिति अध्ययन किया गया है।

भारतीय राजनीति में मीडिया के विकास की विवेचना की गई है।

भारतीय लोकतंत्र में मीडिया के प्रभाव का वर्णन किया गया है।

परिकल्पना:

भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

भारतीय राजनीति में मीडिया के प्रभाव में वृद्धि हो रही है।

अध्ययन के लिए आंकड़ों संग्रह-

प्रस्तुत अध्ययन के लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है इस अध्ययन हेतु राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का समावेश किया गया है प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह प्रथक सर्वेक्षण का अवलोकन प्रश्नावली एवं अनुसूची आदि के माध्यम से किया गया है द्वितीयक आंकड़ों के संकलन डायरी पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्र एवं विभिन्न वेबसाइट एवं पुस्तकों के माध्यम से किया गया है कि सदन की प्रकृति वर्णनात्मक है।

भारत में मीडिया विकास का इतिहास-

भारत में समाचार प्रकाशन का इतिहास मुद्रण के आविष्कारों से शुरू होता है अंग्रेजी काल के होने के कारण पत्रिकाओं और पत्रिकाओं उद्देश्य उस समय की स्वतंत्रता को जगाना था यही कारण है कि उस समय सैकड़ों पत्रकारों ने काम किया जिससे जीवन और जेल का जोखिम उठा कुछ पत्थर खुले तौर पर छापे थे कुछ गुप्त रूप से कई पत्थर विदेशों में छपी भारत के साथ-साथ कई देशों में वितरित किए गए उनका आरोप कभी-कभी एक से दो पृष्ठों की सीट के समान होता था जिसे वे चीटियां मिली उस पर मुकदमा चला है और फिर वह कई साल जेल में रहा तब भी वे छापते और विपरीत करते थे लोकप्रियता के कारण उनका इंतजार करते थे हालांकि अभी भी चिकने थे फिर भी सब मीडिया प्रणाली के अधिकांश लोग सैनिक सुरक्षा के परीक्षण से मिले थे 1947 के बाद देश के वातावरण में अक्षय मीडिया को भी प्रभावित किया नेहरू स्वभाव ने अंग्रेजी और कुलीन थे उन्हें भारतीय भाषाओं से नफरत थी अंग्रेजों ने अंग्रेजी के पत्रों को राष्ट्रीय वादन और भारतीय भाषा के पत्रों को भाषाई तमाम बाद संत कहा नेहरू ने उसी का पालन किया इसलिए सरकारी विज्ञापनों को ऐसे पत्र मिलने लगे इसीलिए अंग्रेजी बहुत विकसित हुए दुर्गा से आज भी वही स्थिति बनी हुई है 80% सरकारी विज्ञापन के अंग्रेजी प्राप्त होते हैं लेकिन जहां तक जमीनी कमरों की बात है उनकी अनुपस्थिति अक्षर अंग्रेजी पत्रों में देखी जाती हैं 39 की तरह है और जिलों की खबरों के लिए लोग केवल अपनी भाषा में आने वाले पर निर्भर करते हैं और सरकारी प्रशासन के क्षेत्र में शिक्षित होने के कारण अंग्रेजी के पत्रों का अधिक प्रभाव है लेकिन प्रसार के मामले में भारतीय कागजों से बहुत पीछे हैं कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजी पत्र को शांत कर सकता है लेकिन भारतीय अक्षरों द्वारा ही पूरा होता है 26 जून को इंदिरा गांधी ने देश में लागू की और नियंत्रण के लिए सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को बंद कर दिया में इनका विरोध किया लेकिन लंबे समय तक नहीं शर्म की बात है कि कई पत्रों के संपादकों बड़ा कहा जाता है ने जुलूस निकाला और इसका समर्थन किया उसमें के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने गुप्त रूप से 500 से 1000 संख्या वाले सैकड़ों पत्र प्रकाशित कि यह पत्र अंगारा सुंदर स्वतंत्रता के तहत एक शहर या जिले तक सीमित है यह एक हाथ से बने मशीन पर मुद्रित होते थे।

भारतीय मीडिया में फर्जी खबरों की समस्या-

भारतीय मीडिया में फर्जी खबरों की समस्या मौजूद है ,जिसके कारण लोग गलत सूचना प्राप्त करते हैं और बड़े पैमाने पर अफवाह और भ्रम फैलाते हैं। कभी - कभी यह गैर -जिम्मेदार रिपोर्टिंग में भी लिप्त हो जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील जानकारी लीक कर देता है। उदाहरण के लिए ,मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले



के मामले में ,गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करना और कभी -कभी भीड़ की भावनाओं को भड़काकर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करना। मीडिया उच्च टीआरपी प्रतियोगिता में सनसनीखेज समाचार दिखाता है जो सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित समाचारों के महत्व को कम करता है।

मीडिया में पेड न्यूज की भी समस्या है जो लोगों को भ्रमित करती है।

भारत में बढ़ते मीडिया ट्रायल की घटनाओं ने न्याय का उपहास उड़ाया है।

भारत में मीडिया की विविधता और गुणवत्ता मीडिया समावेश और लाभ -संचालित हितों जैसी समस्याओं से प्रभावित हो रही है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ , भारत में मीडिया को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करना समय की आवश्यकता है। पेड न्यूज को मोटे तौर पर कानून द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए और इस संबंध में दंडात्मक उपाय किए जाने चाहिए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टर्फ युद्ध से बचने के लिए ,उनके पास एक एकल नियम होना चाहिए। भारतीय प्रेस परिषद को कानून द्वारा दंडात्मक शक्तियां दी जानी चाहिए। समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण जैसे स्व -नियामक निकायों को सशक्त बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो सकता लेकिन नियमन के बिना यह भारत में लोकतंत्र के लिए अपमानजनक भी हो सकता है। इसे संवैधानिक सीमाओं और नियमों के भीतर उचित स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। मीडिया भी समाज का एक हिस्सा है। समाज और उसके नेताओं को लोकतंत्र और लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरने से पहले खुद को परखना होगा। ईमानदार पत्रकारों की खोज एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था ,अनैतिक शिक्षा जो पैसा बनाने की मशीन और एक अनुशासनहीन समाज है से निरर्थक है। वर्तमान युवाओं को दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया में अधिक रुचि है। इस प्रकार ,मीडिया के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीआरपी चैनलों को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित की जा रही सूचना को पक्षपाती या हेरफेर न किया जाए।